

श्रीमती बेबी रानी मौर्य,
राज्यपाल, उत्तराखण्ड
एवं
कुलाधिपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।



राजभवन
उत्तराखण्ड देहरादून

पत्र संख्या— /जी0एस/शिक्षा/C3-7(III)/2019
देहरादून: दिनांक: 15 मई, 2019

:—आदेश—:

आदेश संख्या 505 दिनांक 14.05.2019 द्वारा कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के कुलपति का त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने के कारण कुलपति का पद रिक्त हो जाने के फलस्वरूप आकस्मिकता की स्थिति में कुलपति पद पर अन्तरिम व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-12 (10) (बी) व (सी) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्रो० (डा०) के०एस० राणा, 25/155, विक्रम विहार-IV, लाजपत नगर, दक्षिण दिल्ली को योगदान करने की तिथि से छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कुलपति पद के दायित्वों के निर्वहन हेतु नियुक्त किया जाता है।

श्रीमती बेबी रानी मौर्य
कुलाधिपति।

संख्या 540 (1) जी०एस० शिक्षा / C3-7(III) / 2016 तददिनांकित।
प्रतिलिपि—निम्नलिखित को ई-मेल/फैक्स एवं पंजीकृत पत्र द्वारा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- 4— प्रो० (डा०) के०एस० राणा, 25/155, विक्रम विहार-IV, लाजपत नगर, दक्षिण दिल्ली-24।
- 5— कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 6— निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।
- 7— गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

Sanjay
15.05.19

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव श्री राज्यपाल।